




कार्यालय निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा पंचकूला

आदेश क्रमांक के०डब्ल्यू० 1/1-03 प्रशा० (1)

दिनांक, पंचकूला 10/3/2016

अधीक्षक संसदीय कार्य, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार से प्राप्त पत्र क्रमांक 1/9/2009-1सं० का० दिनांक 08.03.2016 जो कि हरियाणा विधान सभा अधिवेशन के दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों की कार्यालय में उपस्थिति रहने व दौरे पर न जाने से सम्बन्धित है। निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। निर्देशों की दृढता से पालना की जाए।

1. निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
2. निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० हरियाणा, गुडगांव।
3. राज्य के सभी प्राचार्य, डाईट।
4. राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी।
5. राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।
6. रजिस्ट्रार शिक्षा (सैकेण्डरी)।
7. मुख्यालय के सभी स्थापना सम्बन्धित शाखाओं के अधिकारी/अधीक्षक।
8. अधीक्षक प्रशासन (मौलिक शिक्षा निदेशालय)।
9. निजि सहायक/निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
10. जूनियर स्केल स्टैनोग्राफर/पी०ए०, अतिरिक्त निदेशक प्रशासन-I, II एवं III।
11. प्रोद्योगिकी अधिकारी (आई०टी०सैल) मुख्यालय।
12. प्रशासन शाखा में कार्यरत सभी सहायक।


अधीक्षक प्रशासन
कृते: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा
हरियाणा पंचकूला 10/3/16

ACB / Schowr... cum

1258 Admr

08.03.2016

विधान सभा कार्य
परम अग्रता

क्रमांक 1/9/2009-1सं0 का0

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

CFMS No. 1107/ ACSSE

Dt. 8-3-16

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा ।
2. सभी बोर्डों/निगमों के प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा ।

दिनांक चण्डीगढ़ 8 मार्च, 2016.

विषय:-

हरियाणा विधान सभा अधिवेशन के दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों की कार्यालय में उपस्थिति रहने व दौरे पर न जाने बारे ।

8-3-16

(Keshni Anand Arora, I.A.S.)
महोदय, SE

25/3/16


2/3/16

SPD

ADMR


मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर दिलाते हुए यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि हरियाणा विधान सभा का आगामी अधिवेशन 14 मार्च, 2016 को बाद दोपहर 2.00 बजे हरियाणा विधान सभा के हाल में बुलाया गया है । अतः अधिवेशन की तैयारी के लिये तथा अधिवेशन के दौरान कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये । कोई भी अधिकारी/कर्मचारी बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के अवकाश पर न जाए और यदि अवकाश स्वीकृत करना अति आवश्यक हो तो केवल अपरिहार्य कारणों के दृष्टिगत ही स्वीकृत किया जाये । यह भी सुनिश्चित किया जाये कि हरियाणा विधान सभा के अधिवेशन सम्बन्धी कार्य की तैयारी एवं अधिवेशन के दौरान कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये अधिकारी/कर्मचारी (केवल अपरिहार्य कारणों को छोड़ कर) दौरे पर न जायें तथा अपने मुख्यालयों पर ही रहें ।

भवदीय,


अधीक्षक संसदीय कार्य

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक-एक प्रति सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।


अधीक्षक संसदीय कार्य

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।

अशा: क्रमांक 1/9/2009-1सं0 का0

दिनांक चण्डीगढ़ 8 मार्च, 2016